

12

भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण: एक व्यापक विश्लेषण

जेवियन डॉ. लाल कृष्ण शर्मा¹ एवं जेवियन सुनीता चौधरी^{2*}¹शोध निर्देशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर।²शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर।

*Corresponding Author: sunitachoudhary564545@gmail.com

सार

बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण किसी भी प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक क्षति से मुक्ति नहीं है, बल्कि इसमें उनके अस्तित्व, संरक्षण और हिंसा, शोषण तथा भेदभाव से मुक्ति सुनिश्चित करना भी शामिल है। सशक्तिकरण का तात्पर्य बालिकाओं को अपने जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने, अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और समाज के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्तिगत गरिमा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी है।

शब्दकोश: सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय विकास, व्यक्तिगत गरिमा, शारीरिक क्षति।

प्रस्तावना

यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसे भारत ने 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदित किया था। UNCRC 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों (लड़के और लड़कियों दोनों) पर समान रूप से लागू होता है, भले ही वे विवाहित हों या उनके अपने बच्चे हों। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित, भेदभाव रहित जीवन और उनके विचारों के सम्मान पर केंद्रित है, साथ ही परिवार के महत्व और बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सहायक वातावरण के निर्माण पर जोर देता है। भारत में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाने में शामिल करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, उन्हें मानवाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाना और पुरुषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और न्यायिक सभी क्षेत्रों में समान भागीदार बनाना है।

बालिकाओं का सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक कल्याण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास के लिए एक रणनीतिक निवेश है। सशक्त लड़कियां भविष्य की नेता, कार्यकर्ता और परिवर्तनकर्ता बन सकती हैं, जिससे उनके परिवारों, समुदायों और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि बालिकाओं के भविष्य में निवेश करना वास्तव में वैश्विक समाज के भविष्य के निर्माण में एक ठोस निवेश है, क्योंकि जब लड़कियां फलती-फूलती हैं, तो समाज और राष्ट्र दोनों आगे बढ़ते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में लैंगिक असमानता एक गहरी जड़ें जमा चुकी समस्या रही है, जो शिक्षा तक असमान पहुंच, आर्थिक भागीदारी में बाधाओं और सामाजिक रूढ़ियों के रूप में परिलक्षित होती है। हालांकि, पिछले एक दशक में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगतिशील सुधार देखा गया है, जैसा कि लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की बेहतर रैंकिंग से पता चलता है, जो 2021 में 122 से 2022 में 108वें स्थान पर पहुंच गया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी प्रमुख योजनाओं ने लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन को रोकने, बालिकाओं के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रिपोर्ट भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों, उनके समक्ष चुनौतियों, सरकारी पहलों, कानूनी ढांचे और भविष्य की दिशा का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

बालिकाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ और मुद्दे

भारत में बालिकाओं को उनके जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके विकास और सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। ये चुनौतियाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों के जटिल अंतर्संबंध का परिणाम हैं।

लिंग-चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या

कन्या भ्रूण हत्या भारत में बालिकाओं के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक शोध के अनुसार, वर्ष 2000-2019 के बीच कम से कम 9 मिलियन महिला भ्रूण हत्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 86.7% हिंदुओं में थीं। प्राकृतिक लिंगानुपात (प्रति 100 महिलाओं पर 103-107 पुरुष) की तुलना में भारत का बाल लिंगानुपात (0-6 आयु वर्ग) 1961 में 102.4 पुरुषों से बढ़कर 2011 में 108.9 पुरुष प्रति 100 महिलाएं हो गया है, जो कन्या भ्रूण हत्या का एक स्पष्ट संकेतक है। कुछ पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में यह अनुपात काफी अधिक है, उदाहरण के लिए, राजस्थान में 2001 में 0-6 आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां थीं।

यह समस्या पुत्रों को प्राथमिकता देने की गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता से जुड़ी है, जहाँ 54.46% लोग मानते हैं कि पुत्र बुढ़ापे का सहारा होते हैं। इसके अतिरिक्त, दहेज प्रथा का भी इससे गहरा संबंध है, जहाँ लड़कियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक और आर्थिक दबावों का एक घातक संगम है जो अजन्मी लड़कियों के लिए एक प्रतिकूल

वातावरण बनाता है, जिससे लिंगानुपात में असंतुलन पैदा होता है। शहरी क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया गया है, जो शहरीकरण के साथ इस समस्या के नए आयामों को दर्शाता है।

बाल विवाह: आंकड़े, कारण और परिणाम

भारत में बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसके जटिल सामाजिक-आर्थिक कारण हैं। एक नई स्टडी के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.6 मिलियन बाल विवाह होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन 4,000 से अधिक बाल विवाह होते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) में 2018–2022 के बीच केवल 3,863 मामले दर्ज किए गए, जो वास्तविक संख्या से बहुत कम है और इस अपराध की व्यापक अंडररिपोर्टिंग को दर्शाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019–21) के अनुसार, 20–24 आयु वर्ग की 23.3 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, हालांकि यह 2006 में 47 प्रतिशत से घटकर लगभग आधा हो गया है।

बाल विवाह के प्रमुख कारणों में गरीबी शामिल है, जहाँ गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि वाले माता-पिता अक्सर वित्तीय बोझ कम करने के लिए अपनी छोटी बेटियों की शादी कर देते हैं। दहेज की चाहत भी एक कारण है, क्योंकि माता-पिता को लगता है कि कम उम्र में बेटियों की शादी करने से दहेज की मांग कम होगी। शिक्षा का अभाव, पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यताएं (जो कम उम्र में शादी को सुरक्षा और वंशावली की निरंतरता सुनिश्चित करने वाला मानती हैं), लिंग भेदभाव, और कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन (अदालतों में लंबे मुकदमे, 92 प्रतिशत लंबित मामले और केवल 11 प्रतिशत सजा दर) इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं।

बाल विवाह के परिणाम विनाशकारी होते हैं। कम उम्र में शादी होने पर लड़कियां अक्सर अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, जिससे उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती और वे हमेशा अपने पति पर निर्भर रहती हैं। युवा पत्नियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका शरीर गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होता, जिससे प्रसव खतरनाक हो जाता है और बच्चों को भी स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और आर्थिक निर्भरता के कारण खुद की रक्षा नहीं कर पातीं। बाल विवाह लड़कियों से उनका बचपन छीन लेता है, उनके सपनों को तोड़ देता है, आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है, भावनात्मक विकास में बाधा डालता है, और गरीबी के एक निरंतर चक्र को बढ़ावा देता है। यह एक बहुआयामी गरीबी और असमानता का जाल है, जहाँ बाल विवाह स्वयं गरीबी का कारण और परिणाम दोनों बन जाता है, जिससे परिवारों को एक ऐसे चक्र में फंसा दिया जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है।

बाल श्रम और तस्करी: प्रकार, आंकड़े और प्रभाव

बाल श्रम भारत में एक व्यापक समस्या है जो बालिकाओं को विशेष रूप से प्रभावित करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 1.01 करोड़ बाल मजदूर थे, जिनमें 45

लाख लड़कियां शामिल थीं। वैश्विक स्तर पर, अनुमानित 15.20 करोड़ बाल मजदूरों में से 6.4 करोड़ लड़कियां हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बाल श्रमिकों की दर में कमी आई है, लेकिन अभी भी बच्चों को बंधुआ मजदूरी, बाल सैनिक, देह व्यापार, ईट भट्टों, गलीचा बुनने, घरेलू कामकाज, खानपान सेवाओं, खेतीबाड़ी, मछली पालन और खानों जैसे कठिन और खतरनाक कार्यों में लगाया जा रहा है। यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी का खतरा भी बना रहता है।

बाल श्रम के मुख्य कारणों में गरीबी, सामाजिक मापदंड, वयस्कों और किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी, प्रवास और आपात स्थिति शामिल हैं। ये कारक अक्सर भेदभाव से पैदा होने वाली सामाजिक असमानताओं के परिणाम होते हैं। बाल श्रम बच्चों से स्कूल जाने का अधिकार छीन लेता है, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसाता है, शिक्षा में बाधा डालता है, और उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास में रुकावट डालता है।

मानव तस्करी एक और गंभीर मुद्दा है, जिसके सटीक आंकड़े जुटाना कठिन है क्योंकि यह एक अवैध और गोपनीय गतिविधि है। भारत में 90: मानव तस्करी अंतरराष्ट्रीय है, जिसका अर्थ है कि यह देश के भीतर ही होती है। 2014 में, तस्करी किए गए सभी व्यक्तियों में से 76: महिलाएं और लड़कियां थीं। अनुमान है कि भारत में वेश्यावृत्ति क्षेत्रों में 2 मिलियन से अधिक महिलाएं और बच्चे यौन तस्करी के शिकार हैं, जिनमें लड़कियों का बहुमत है। तस्करी के शिकार बच्चों को शारीरिक, मानसिक, यौन और भावनात्मक उत्पीड़न सहना पड़ता है, जिससे हिंसा, यौन उत्पीड़न और एचआईवी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बाल श्रम की गतिशीलता बदल रही है, शहरीकरण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार बाल शोषण के नए रास्ते खोल रहा है। शहरी क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो छोटी नौकरियों में बाल श्रमिकों की बढ़ती मांग का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि पारंपरिक ग्रामीण-केंद्रित कार्यक्रमों के अलावा शहरी शासन और अनौपचारिक क्षेत्रों के विनियमन के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

हिंसा, शोषण और भेदभाव: शारीरिक, मानसिक, यौन उत्पीड़न

बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुर्यवहार की रिपोर्टिंग कम होती है, जिससे वास्तविक संख्या कम आंकी जाती है और दोषियों को कम ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्ब) 2022 के अनुसार, भारत में बाल दुर्यवहार के मामलों में 8.7: की वृद्धि हुई, कुल 162,000 घटनाएं दर्ज की गईं। अपहरण और अपहरण बच्चों के खिलाफ अपराधों का 46: है, जिसके बाद यौन अपराध आते हैं। 2016 से 2022 तक बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा में 96: की वृद्धि हुई है, 2022 में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के 38,911 मामले दर्ज किए गए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी बच्चे के परिचित होते हैं, जैसे माता-पिता, रिश्तेदार, या देखभाल करने वाले, जिससे रिपोर्टिंग में झिझक होती है।

हालांकि, सरकार द्वारा जागरूकता बढ़ाने के उपायों जैसे हेल्पलाइन (महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112), जीरो-एफआईआर और ई-एफआईआर के कारण अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों को मजबूत किया है, जिसमें दंड में वृद्धि और नए प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि संगठित अपराध, विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध, और तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण से संबंधित धाराएं। रिपोर्ट किए गए मामलों में वृद्धि एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती है; यह पूरी तरह से घटनाओं में वृद्धि को नहीं दर्शा सकती है, बल्कि जागरूकता और रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार का परिणाम भी हो सकती है।

शिक्षा तक असमान पहुँच और निम्न साक्षरता दर

शिक्षा तक पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा पूर्णता दर के मामले में लड़कों और लड़कियों के बीच असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। सांस्कृतिक मानदंड, आर्थिक बाधाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं अक्सर लड़कियों की शिक्षा को बाधित करती हैं। 2022 में भारत में महिला साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 79 प्रतिशत से काफी कम है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत है। अशिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं और शोषण की चपेट में आ जाती हैं। बिहार और राजस्थान जैसे राज्य महिला साक्षरता में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं।

लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 4.10 प्रतिशत है, जो माध्यमिक स्तर पर बढ़कर 16.88 प्रतिशत हो जाती है, और कमजोर समूहों की लड़कियों के लिए ये आंकड़े काफी अधिक हैं। शिक्षा का अधूरा चक्र और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता पर इसका प्रभाव स्पष्ट है; केवल नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चुनौती शिक्षा की

पूर्णता और उपयोगिता सुनिश्चित करने में निहित है। यदि लड़कियां स्कूल शुरू भी करती हैं, तो उन्हें अक्सर आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का पूरी तरह से लाभ उठाने से पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे गरीबी और लैंगिक असमानता का चक्र बना रहता है।

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य

भारत ने मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी देखी है, जो 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है, जो बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव और मजबूत स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेपों का परिणाम है। पोषण अभियान जैसी पहलें भी लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं।

हालांकि, किशोरियों में स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दे अभी भी व्याप्त हैं। शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के साथ-साथ कामुकता, लिंग, पदार्थ का उपयोग और दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य (जैसे अवसाद, चिंता विकार और सिज़ोफ्रेनिया), मोटापा और चोटें किशोरों में आम हैं। एक अनुमान के अनुसार, 10-19 वर्ष की आयु के 15: किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य

संबंधी समस्याएं पाई गई हैं, जिनमें अवसाद, चिंता और व्यवहार संबंधी विकार सबसे आम हैं। 15–19 वर्ष की आयु के किशोरों में आत्महत्या मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है। अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के गंभीर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, जो शैक्षणिक प्रदर्शन, रिश्तों और भविष्य के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विशेष रूप से कम सामाजिक समर्थन वाली लड़कियों और युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि किशोरियों का मानसिक स्वास्थ्य एक उपेक्षित संकट है, जिसके लिए तत्काल, लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश और सामाजिक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता है, खासकर जब वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल खर्च का केवल 2.1: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित किया जाता है।

आर्थिक भागीदारी में बाधाएँ और लैंगिक वेतन अंतराल

भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में सुधार देखा गया है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017–18 में 22 प्रतिशत से दोगुना होकर 2023–24 में 40.3 प्रतिशत हो गया है, और श्रम बल भागीदारी दर इसी अवधि के दौरान 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017–18 में 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 47.6 प्रतिशत हो गई है। कार्यबल में शिक्षित महिलाओं की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, 2023–24 में स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की शिक्षा स्तर वाली कुल महिलाओं में से लगभग 39.6 प्रतिशत कार्यरत हैं।

हालांकि, आर्थिक भागीदारी में वृद्धि के बावजूद संरचनात्मक असमानताएं बनी हुई हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में पुरुष श्रम आय का 82 प्रतिशत अर्जित करते हैं, जबकि महिलाओं को इसका मात्र 18 प्रतिशत प्राप्त होता है, जो एक गंभीर लैंगिक वेतन अंतराल को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 2022 में भारतीय महिलाएं समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में लगभग 30: कम कमाती थीं। निम्न शैक्षिक स्तर, सामाजिक मानदंड जो महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में), और कार्यस्थल पर भेदभाव तथा उत्पीड़न (80: कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है) महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी के प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाएं अक्सर घरेलू काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और कम महत्व दिया जाता है, जो उनकी आर्थिक निर्भरता और समय की गरीबी में योगदान देता है। यह दर्शाता है कि आर्थिक भागीदारी में संख्यात्मक वृद्धि के बावजूद, लैंगिक समानता और सम्मानजनक कार्य की दिशा में अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।

सामाजिक रूढ़ियाँ और पितृसत्तात्मक मानसिकता का प्रभाव

भारतीय समाज में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जो गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम है। रूढ़िवादी मानसिकता के चलते

लड़कियां पूरी तरह शिक्षित नहीं हो पातीं और अपने अधिकारों को पहचान नहीं पातीं, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पातीं। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें केवल घर की देखभाल करनी है, और गांवों में पढ़ाई से ज्यादा घर के काम सिखाए जाते हैं, जो उनके भविष्य और देश के विकास में बाधक है।

जलवायु परिवर्तन का महिलाओं और लड़कियों पर असामान्य प्रभाव पड़ता है, जिससे गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य कल्याण, पानी और साफ-सफाई के क्षेत्रों में स्थायी विकास के लक्ष्य पूरे करने के प्रयासों में बाधाएं आ सकती हैं। यह एक उभरती हुई चुनौती है जो मौजूदा कमजोरियों को बढ़ाती है, जिससे लड़कियों को संकट और हिंसा का अधिक सामना करना पड़ता है। परिवारों द्वारा लड़कियों पर घरेलू कामकाज का सारा बोझ डालना और शिक्षा में लड़कों को प्राथमिकता देना आम है, जिससे लैंगिक भेदभाव वाली सोच बनी रहती है। समाज में लड़कियों के प्रति सोच में बदलाव लाने की बेहद आवश्यकता है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें और सामाजिक आचरण तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में अग्रणी भूमिका निभा सकें।

भारत सरकार की प्रमुख पहलें और नीतियाँ

भारत सरकार ने बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण और बहुआयामी पहलें और नीतियां लागू की हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं।

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लिंग पक्षपातपूर्ण लिंग चयन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकार की शत-प्रतिशत वित्तपोषित योजना है और इसे देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है।

इस योजना के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है, जो 12 अंकों का एक स्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन है। इसके अलावा, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (लॉम्प्ट) 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 78 प्रतिशत हो गया है। यह योजना जागरूकता अभियानों, सामुदायिक सहभागिता, लैंगिक रुढ़ियों को चुनौती देने और स्थानीय निकायों तथा समूहों को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। टटटच का प्रभाव केवल लिंगानुपात में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, कौशल विकास, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर कार्यशालाओं और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी समग्र सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है।

वित्तीय समावेशन और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ

सरकार ने बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें सशर्त नकद हस्तांतरण का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

- **सुकन्या समृद्धि योजना:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक छोटी बचत योजना है, जो माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना 8.2 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर (तिमाही समायोजित) प्रदान करती है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ देती है। बेटी के 18 साल की होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% निकासी की अनुमति है, और 21 साल की परिपक्वता पर राशि पूरी तरह से कर-मुक्त होती है।
- **बालिका समृद्धि योजना:** यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। यह नवजात शिशु के जन्म पर बालिका की मां को 500 रुपये प्रदान करती है और स्कूल जाते समय, एक बालिका को 300 रुपये से 1000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- **मुख्यमंत्री राजश्री योजना:** इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को 6 किस्तों में कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना है।
- **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना (बिहार):** यह योजना बिहार में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों में जन्मी लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बालिका के जन्म पर माता-पिता को 2000 रुपये बेटी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जमा किए जाते हैं।
- **माझी कन्या भाग्यश्री योजना (महाराष्ट्र):** इस योजना के तहत बालिका की मां को कन्या के जन्म के बाद पहले 5 वर्षों तक हर साल 5000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद, 5वीं कक्षा में दाखिला लेने तक बालिका को 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, और यह आर्थिक सहायता बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति वर्ष कर दी जाती है जब तक बालिका कक्षा 12 में दाखिला न ले। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, उसे उसकी उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये मिलते हैं।

ये योजनाएँ परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करने के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सकारात्मक व्यवहारों को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे सशक्तिकरण के कई आयामों को एक साथ संबोधित किया जाता है।

शैक्षिक पहलें

सरकार ने बालिकाओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:** अगस्त 2004 में शुरू किए गए ये आवासीय विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा में अंतर को समाप्त करना और प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करना है।
- **सीबीएसई उड़ान योजना:** इस योजना का मकसद प्रतिभावान छात्राओं को स्कूल से तकनीकी शिक्षा (जैसे इंजीनियरिंग) पाने तक के सफर को आसान बनाना है। इसके लिए ऐसी छात्राओं को मार्गदर्शन के साथ ही आर्थिक मदद भी की जाती है, जिसमें इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी में मदद शामिल है।
- **माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना:** यह लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- **प्रगति स्कॉलरशिप:** यह योजना तकनीकी शिक्षा के लिए 4,000 छात्राओं को प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद प्रदान करती है।
- **सर्व शिक्षा अभियान:** यह लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर केंद्रित है।

सुरक्षा और सहायता के लिए कार्यक्रम

बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक और एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित किया है।

- **मिशन शक्ति:** यह योजना महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 'सामर्थ्य' और 'संबल' घटकों को शामिल करती है।
- **वन-स्टॉप सेंटर:** 785 जिलों में 802 कार्यात्मक षे ने 10.43 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। ये केंद्र संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें तस्करी की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्रदान करते हैं।
- **महिला हेल्पलाइन (181):** इस हेल्पलाइन के माध्यम से 1.99 करोड़ से अधिक कॉल्स का समाधान किया गया है और 82.68 लाख महिलाओं को सहायता मिली है। इसे निर्बाध प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (मै-112) और चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

- **निर्भया फंड:** महिला सुरक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्थापित एक विशेष कोष है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 तक कुल 7712.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 5846.08 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। इस कोष का उपयोग वन-स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, एंटी-ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट और महिला हेल्प डेस्क जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाता है ।
- **शक्ति सदन:** यह तस्करी की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने में मदद करना है।
- **सखी निवास:** इस योजना का उद्देश्य कार्यबल में शामिल महिलाओं और/या कार्यबल में शामिल होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक स्थान पर स्थित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना में सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का भी प्रावधान है।
- **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट:** यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 2019 से स्थापित, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 750 (408 विशेष) अदालतें कार्यरत हैं, जिन्होंने 2.87 लाख से अधिक बलात्कार और च्छेद अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा किया है।

सुरक्षा तंत्र का यह विस्तार और एकीकरण एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है। यह केवल सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि सहायता तक निर्बाध पहुंच, त्वरित न्याय और मजबूत कानूनी निवारकों को सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित है। यह एक अधिक मजबूत और उत्तरदायी सुरक्षा अवसंरचना की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य सहायता और अभियोजन में अंतराल को कम करना है।

निष्कर्ष और संदर्भ

यह रिपोर्ट भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हमने देखा कि भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रमुख योजनाओं के सकारात्मक परिणामों और लैंगिक असमानता सूचकांक में बेहतर रैंकिंग से स्पष्ट है। जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो 2014–15 में 918 से बढ़कर 2023–24 में 930 हो गया है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, इन सफलताओं के बावजूद, कई गंभीर चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम और मानव तस्करी जैसी समस्याएँ लड़कियों के विकास में बाधा डाल रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी में भी असमानताएँ मौजूद हैं। लिंग-चयनात्मक गर्भपात के कारण 2000–2019 के बीच कम से कम 9 मिलियन महिला भ्रूण हत्याएं दर्ज की गईं। बाल विवाह के

कारण लड़कियों को अक्सर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वे स्वास्थ्य जोखिमों तथा घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। सरकार ने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिशन शक्ति और फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट। ये प्रयास सुरक्षा, शिक्षा और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि भारत ने बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सामाजिक सोच में बदलाव, कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन और जागरूकता कार्यक्रमों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बालिकाओं के भविष्य में निवेश करना वास्तव में राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है, क्योंकि जब लड़कियाँ फलती-फूलती हैं, तो समाज और राष्ट्र दोनों आगे बढ़ते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार. (2015). बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय.
2. भारत सरकार. (2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (छत्थे-5) 2019-21. नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय.
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2022). मानव विकास रिपोर्ट 2022 लैंगिक असमानता सूचकांक. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र.
4. विश्व बैंक. (2023). भारत में श्रम बल भागीदारी और लैंगिक समानता पर रिपोर्ट. वॉशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक प्रकाशन.
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2020). भारत में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात का विश्लेषण. जेनेवा: आई.एल.ओ.
6. कुमार, ए. (2021). भारत में बाल विवाह और शिक्षा पर प्रभाव. भारतीय सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 28(3), 112-130.
7. शर्मा, एस. (2020). कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात: एक सामाजिक अध्ययन. भारतीय जनसंख्या जर्नल, 45(2), 67-85.
8. भारत सरकार. (2018). सुकन्या समृद्धि योजना पर वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय.
9. भारत सरकार. (2020). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मूल्यांकन रिपोर्ट. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.
10. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2022). भारत में मानव तस्करी और अपराध रिपोर्ट 2021. नई दिल्ली: गृहमंत्रालय.
11. सिंह, आर. (2019). भारत में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. शिक्षा विमर्श, 34(1), 45-60.

12. जोशी, पी. (2022). महिला सुरक्षा और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की भूमिका. भारतीय विधि समीक्षा, 16(2), 201–218.
13. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2021). मिशन शक्ति योजना रिपोर्ट 2020–21. नई दिल्ली: भारत सरकार.
14. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (2021). भारत में बालिकाओं की स्थिति: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: यूनीसेफ इंडिया.
15. चौधरी, डी. (2023). भारतीय समाज में बालिका सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सोच में परिवर्तन. सामाजिक अध्ययन पत्रिका, 19(4), 90–108

